प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शामली।

सेवा में,

अर्पण पब्लिक स्कूल थानाभवन
विकास क्षेत्र थानाभवन–शामली।

पत्रांकः–मान्यता/ 22593-94 /2018–19 दिनांक– 28.2.19

विषय–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया

आपके मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन पर खण्ड शिक्षा अधिकारी, थानाभवन की संस्तुति एवं मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 27.02.2019 में लिये गये निर्णयानुसार इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं **अर्पण पब्लिक स्कूल थानाभवन विकास क्षेत्र थानाभवन–शामली** को दिनांक 27–02–2019 से दिनांक 26–02–2022 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 के लिए अनंतिम मान्यता (अंग्रेजी माध्यम) प्रदान करने की संसूचना देता/देती हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 (उपबंध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 (उपबंध–2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नही करेगा और यह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

I. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।

II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जाएगा।

III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नही है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगें।

VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगें।

VIII. अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नही करेंगें।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–

➢	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	10240 व0मी0
➢	कुल निर्मित क्षेत्र	347.1 व0मी0
➢	कीडा स्थल का क्षेत्रफल	1050 व0मी0
➢	कक्षाओं की संख्या	10
➢	प्रध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडारागार के लिए कक्ष	उपलब्ध है।
➢	बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	है।
➢	पेयजल सुविधा	उपलब्ध है।
➢	मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई	नही है।
➢	बाधारहित पहुॅच	है।
➢	अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	है।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा।

12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जायेगा।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 06 है। कृपया इसे नोट कर लें ओर इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सूचना भी प्रस्तुत करेगा, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और जिनसे समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन होता हो, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायेंगें।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जायेगा।

17. विद्यालय के उपलब्ध स्थान के कक्षा–कक्षों में प्रति छात्र 9 वर्ग फुट तक की सीमा तक ही प्रवेश सुनिश्चित करें।

भवदीया,

28.2.19

(गीता वर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शामली।

पृ0सं0/मान्यता/ /2018–19 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
2. सम्बन्धित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद–शामली।
3. कार्यालय गार्ड पत्रावली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शामली।